बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग

5, हार्डिंग रोड, पटना–800001

(बेवसाइटः https://bpssc.bihar.gov.in)

संदर्भः विज्ञापन संख्या–01/2024

बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) में ''आशु सहायक अवर निरीक्षक'' (Steno Assistant Sub-Inspector) के पद पर चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार में आशु सहायक अवर निरीक्षक की 305 (तीन सौ पाँच) रिक्तियों के विरूद्ध सीधी भर्ती हेतु दिनांक–14.12.2024 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या–01/2024 के क्रम में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक–23.02.2025 (रविवार) को आयोजित की गयी थी।

(2) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल 1830 अभ्यर्थियों की दिनांक–15.04.2025 से दिनांक–17.04.2025 तक पात्रता की जाँच परीक्षा आयोजित की गयी तथा इसका परिणाम दिनांक–09.05.2025 को प्रकाशित किया गया। इस परीक्षा में उत्तीर्ण (36) तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा से विमुक्त (33) कुल–(36+33)=69 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक–23.05.2025 को आयोग कार्यालय में किया गया। अभिलेख सत्यापन के क्रम में किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना का संकल्प ज्ञापांक सं0–13062 दिनांक–12.10.2017 के अनुरूप विहित प्रारुप में प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया गया था। अतः दिव्यांग अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा नोटिस के माध्यम से पुनः दिनांक–25.06.2025 को विहित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण–पत्र समर्पित करने का अवसर प्रदान किया गया।

(3) पात्रता की जाँच परीक्षा में सफल 36 गैर दिव्यांग अभ्यर्थी अभिलेख जाँच में योग्य पाए गए। 33 दिव्यांग अभ्यर्थियों ने पात्रता की जाँच (कम्प्युटर आधारित) परीक्षा से विमुक्ति का दावा दिव्यांगता के आधार पर किया था। इनमें से 02 अभ्यर्थी दिनांक––25.06.2025 को अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहे तथा इन्होंने अपने प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किये। 13 अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख अपूर्ण/अमान्य पाए गए। शेष 18 दिव्यांग अभ्यर्थियों को चयन हेतु विचार योग्य पाया गया।

(4) पात्रता की जाँच परीक्षा में सफल एवं परीक्षा से विमुक्त अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता, आयु, आरक्षण तथा दिव्यांगता आदि अर्हता रखने वाले कुल–54 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयन हेतु विचार के योग्य पाये गये।

(5) बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का पत्र संख्या–8/ब.2–10–21/2019 गृ0आ0 13747 दिनांक–25.11.2024 द्वारा प्राप्त अधियाचना के अनुसार **''आशु सहायक अवर**

निरीक्षक'' (Steno Assistant Sub-Inspector) की 305 (तीन सौ पाँच) रिक्तियों का विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	**आरक्षण/कोटि**	**कोटिवार कुल रिक्ति की संख्या**	**इनमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या**
1.	अनारक्षित (01)	121 (एक सौ इक्कीस)	42 (बयालीस)
	अनुसूचित जाति (02)	37 (सैंतीस)	13 (तेरह)
	अनुसूचित जनजाति (03)	06 (छः)	02 (दो)
	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04)	59 (उनसठ)	21 (इक्कीस)
	पिछड़ा वर्ग (05)	37 (सैंतीस)	13 (तेरह)
	पिछड़े वर्गों की महिलाएँ (06)	14 (चौदह)	N/A
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (07)	31 (इक्कतीस)	11 (ग्यारह)
	कुल	305 (तीन सौ पाँच)	102 (एक सौ दो)

2.	स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित (2 प्रतिशत) कुल पदों की संख्या	06 (छः)

3.	(क) गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के आदेश ज्ञापांक-10289, दिनांक-24.08.2023 के आलोक में 1288 पदों का 4% 51.5 अर्थात 52 एवं (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0-962, दिनांक-22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में 305 पदों का 4% अर्थात 12 उक्त के आलोक में कंडिका (क) + (ख) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित (04%) कुल पदों की संख्या-64 (52+12)	
	(i) दृष्टि बाधित (VI)	16
	(ii) अस्थि विकलांग (OH)	16
	(iii) मूक बधिर (DD)	16
	(iv) मनोविकार दिव्यांगता/बहु दिव्यांगता	16

(6) आशु सहायक अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित/वर्णित प्रावधानः- (i) बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा)का पत्र संख्या-8/ब.2-10-21/2019 गृ0आ0 13747 दिनांक-25.11.2024 एवं (ii) बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-23/नियुक्त-01-225/2024, सा0प्र0 16589 दिनांक-15.10.2024 द्वारा प्राप्त अधियाचना

(iii) बिहार सरकार, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) अधिसूचना संख्या–4/ब.1–10–05/2011 गृ0आ0 10900 दिनांक–18.12.2019, अधिसूचना संख्या–4/ब.1–10–05/2011 गृ0आ0 6838 दिनांक–23.08.2017 एवं अधिसूचना संख्या–4/ब1–10–05/2011 1970, दिनांक–08.03.2018 (आशु संवर्ग नियमावली) की शर्तों के अधीन पात्रता की जाँच परीक्षा में सफल एवं अन्य वांछित अर्हता प्राप्त तथा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधा क्रमानुसार एवं आरक्षण कोटिवार आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद हेतु चयन किया जा रहा है।

(7) आशु सहायक अवर निरीक्षक पद की 305 (तीन सौ पाँच) रिक्तियों के विरूद्ध अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत् हैः

श्रेणी/कोटि	अनारक्षित (सामान्य)			आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अत्यंत पिछड़ा वर्ग			पिछड़ा वर्ग			पिछड़े वर्गों की महिलाएँ
	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	
मूल रिक्ति 305, 06 FFW एवं 64 दिव्यांगजन सहित	79	42	121	20	11	31	24	13	37	04	02	06	38	21	59	24	13	37	14
चयनित	08	28	36	NIL															
दृष्टि बाधित (VI)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	01	00	00	00	00
अस्थि विकलांग (OH)	00	00	00	02	00	02	00	00	00	01	00	01	06	00	06	06	01	07	00
मूक बधिर (DD)	NIL																		
मनोविकार दिव्यांगता/बहु दिव्यांगता	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	01	00
कुल चयनित	08	28	36	02	00	02	00	00	00	01	00	01	07	00	07	07	01	08	00
शेष रिक्ति	71	14	85	18	11	29	24	13	37	03	02	05	31	21	52	17	12	29	14
कुल चयनित योग–54																			

- आशु सहायक अवर निरीक्षक पद की 305 (तीन सौ पाँच) रिक्तियों के विरूद्ध 25 पुरुष एवं 29 महिला अभ्यर्थी चयनित हुए हैं जिनमें 18 दिव्यांग अभ्यर्थी सम्मिलित है।

(8) (क) विभिन्न आरक्षण कोटियों का Cut-off Marks निम्नवत हैः

क्र0सं0	श्रेणी/कोटि	पुरूष		महिला	
		Cut off Marks	DOB	Cut off Marks	DOB
1	अनारक्षित (सामान्य)	125.2	(15.02.2001)	111.8	(02.02.2001)
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				
3	अनुसूचित जाति				
4	अनुसूचित जनजाति				
5	अत्यंत पिछड़ा वर्ग				
6	पिछड़ा वर्ग				
7	पिछड़े वर्गों की महिला				

(ख) दिव्यांग अभ्यर्थियों का श्रेणीवार/आरक्षण कोटिवार Cut-off Marks निम्नवत हैः

क्र0 सं0	आरक्षण कोटि	दिव्यांगता का प्रकार							
		VI		**OH**		**DD**		**MH**	
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	अनारक्षित (सामान्य)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	–	–	94.4 (18.06.1997)	–	–	–	–	–
3	अनुसूचित जाति	–	–	–	–	–	–	–	–
4	अनुसूचित जनजाति	–	–	86.2 (09.01.1995)	–	–	–	–	–
5	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	102.2 (03.01.1992)	–	89.0 (12.06.1996)	–	–	–	–	–
6	पिछड़ा वर्ग	–	–	85.2 (02.12.1995)	80.2 (25.10.2004)	–	–	102.0 (20.05.1996)	–
7	पिछड़े वर्गों की महिला	–	–	–	–	–	–	–	–

(9) गृह विभाग (आरक्षी शाखा) बिहार सरकार में आशु सहायक अवर निरीक्षक की रिक्तियों के विरूद्ध चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक निम्नवत् हैः

कृपया इसे मेधा सूची न समझें।

1053	**1262**	**1661**	**1904**	**2135**	**2528**	**2601**	**2649**
1060	**1269**	**1706**	**1945**	**2138**	**2536**	**2619**	**2663**
1064	**1280**	**1708**	**2003**	**2153**	**2554**	**2620**	**2671**
1153	**1341**	**1759**	**2026**	**2211**	**2573**	**2623**	**2676**
1203	**1495**	**1780**	**2079**	**2341**	**2576**	**2625**	**2812**
1236	**1531**	**1834**	**2083**	**2354**	**2579**	**2633**	
1261	**1581**	**1835**	**2106**	**2379**	**2595**	**2636**	

(10) **अभ्यर्थियों की अर्हता, शिक्षा तथा चरित्र सत्यापन एवं पहचानः–** नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा, चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, दिव्यांगता एवं अर्हता संबंधी अन्य अभिलेखों के साथ–साथ चरित्र सत्यापन नियमानुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएँगे। किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

(11) **चिकित्सकीय परीक्षणः–** नियुक्ति के पूर्व नियमानुसार चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण एवं दिव्यांगता जाँच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। चिकित्सकीय परीक्षण में अयोग्य पाए गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

(12) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार को प्रेषित की जा रही है।

(13) **योगदानः–** (a) योगदान के संबंध में अग्रेतर निर्देश नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा निर्गत किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से योगदान करना होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। आशु सहायक अवर निरीक्षक के लिए नियुक्ति प्राधिकार पुलिस उप–महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे।

(b) चयनित अभ्यर्थी सुसंगत मूल प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों यथा– (i) वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र जैसे– मतदाता पहचान–पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि। (ii) मैट्रिक उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र (जन्म तिथि हेतु)। (iii) इण्टरमिडिएट (10+2) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण–पत्र (शैक्षणिक योग्यता हेतु) (iv) दिनांक–01.08.2024 तक कम्प्युटर संचालन में डिप्लोमा प्रमाण–पत्र (सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत) (v) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए)। महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/अविवाहित) का जाति प्रमाण–पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा (vi) क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण–पत्र एवं प्रपत्र–xviii B (पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)। महिला अभ्यर्थियों (विवाहित / अविवाहित) का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र पिता के आधार पर निर्गत होने पर ही मान्य होगा (vii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र (सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए) (viii) बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य होने संबंधी वित्तीय वर्ष 2023–2024 की आय एवं परिसम्पतियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण–पत्र, बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622, दिनांक–26 फरवरी, 2019 (गजट संख्या 284) के द्वारा विहित प्रपत्र में अनुमान्य होगा (ix) बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो), बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक, जिन्होंने कट ऑफ तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो, वे अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से साथ लाएँगे (x) भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अपना पी0पी0ओ0 तथा डिस्चार्ज बुक लाना अनिवार्य होगा। (यदि लागू हो) (xi) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के लिए स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित होने का प्रमाण–पत्र (बिहार राज्य के निवासियों के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत)। (यदि लागू हो) (xii) दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र (xiii) ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(r) के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता से ग्रसित होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र के आधार पर श्रुतिलेखक की सुविधा ली है तथा जिन दिव्यांग अभ्यर्थियों ने बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–13062 दिनांक–12.10.2017 की कंडिका 2(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग (पूर्ण अंधेपन से ग्रसित) तथा एक हाथ अथवा दोनों हाथों से दिव्यांगता के आधार पर पात्रता की जाँच

परीक्षा से विमुक्ति का दावा किया है वे सम्बन्धित दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जिसमें वांछित स्तर की दिव्यांगता का स्पष्ट उल्लेख हो अवश्य उपस्थापित करेंगे।

(14) प्रेस में मुद्रण एवं टाईपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

(15) दलालों से सावधान रहें एवं ऐसे संदिग्धों के सम्बन्ध में पुलिस को सूचित करें।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
पटना।

पत्र संख्या बि0पु0अ0से0आ0/परीक्षा–01–05/2024–513 दिनांक–30.06.2025

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का कार्यालय,
5, हार्डिंग रोड, पटना – 800001

प्रतिलिपिः–

1. **अपर मुख्य सचिव,** गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
2. **पुलिस महानिदेशक,** बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी,
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
पटना।